संख्या- /2024/1671/एक-5-2023-166/2010

प्रेषक,

अनिल कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0प्र0
लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-5 **लखनऊ :: दिनांक जनवरी, 2024**

विषय- जनपद बस्ती कलेक्ट्रेट के अनावासीय भवन के निर्माण कार्य हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1665/12-भवन-20/87(1)टी0सी0, दिनांक 13.12.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद बस्ती कलेक्ट्रेट के अनावासीय भवन के निर्माण कार्य हेतु शासनादेश संख्या-426/एक-5-2011-166/2010 दिनांक 26 फरवरी, 2011 द्वारा मानकीकृत लागत धनराशि रू0 865.94 लाख पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू0 20.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। उक्त के क्रम में शासनादेश संख्या-1123/एक-5-2011-18/2005 दिनांक 15 अप्रैल, 2011 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू0 70.00 लाख, शासनादेश संख्या-1551/एक-5-2016-166/2010 दिनांक 07 जनवरी, 2016 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में रू0 275.94 लाख तथा शासनादेश संख्या-414/एक-5-2017-166/2010 दिनांक 29 मार्च, 2017 द्वारा चतुर्थ किश्त के रूप में रू0 500.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। इस प्रकार मानकीकृत लागत रू0 865.94 लाख के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि अवमुक्त कर दी गयी है। उक्त अवमुक्त धनराशि से कार्य पूर्ण न होने के कारण जनपद बस्ती कलेक्ट्रेट के अनावासीय भवन के निर्माण कार्य हेतु प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा पुनरीक्षित आंकलित लागत रू0 1602.08 लाख+(जी0एस0टी0 नियमानुसार देय) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-1528/एक-5-2019-166/2010, दिनांक 07 फरवरी, 2020 द्वारा निर्गत किये जाने के क्रम में पुनरीक्षित अनुमोदित लागत रू0 1602.08 लाख अवशेष अन्तर की रू0 736.14 लाख की 05 प्रतिशत की धनराशि रू0 80.104 को रोकते हुए रू0 656.036 लाख की धनराशि शासनादेश संख्या-167/एक-5-2020-166/2010 दिनांक 11 फरवरी, 2020 द्वारा अवमुक्त की गयी। इस प्रकार अनुमोदित पुनरीक्षित लागत रू0 1602.08 लाख+(जी0एस0टी0 नियमानुसार देय) के सापेक्ष रू0 1521.97 लाख की धनराशि स्वीकृत/अवमुक्त की गयी है।

3- उक्त के क्रम में जनपद बस्ती कलेक्ट्रेट के अनावासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु पुनरीक्षित अनुमोदित लागत रू0 1602.08 लाख की रोकी गयी 05 प्रतिशत धनराशि रू0 80.104 लाख (रू0 अस्सी लाख दस हजार चार सौ मात्र) अवमुक्त कर नियमानुसार व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान करते है:-

(1) राजस्व परिषद द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि नियमानुसार आहरित कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था यू0पी0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0 (पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लि0) को उक्त प्रयोजन हेतु उपलब्ध करा दी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(2) वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत करने विषयक वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 17 मार्च, 2023 यथा संशोधित कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 19 सितम्बर, 2023 में निहित व्यवस्थानुसार राजस्व परिषद द्वारा इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि कार्यदायी संस्था के पास आवश्यकता से अधिक धनराशि न हो।

(3) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(4) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता प्रत्येक दशा में सुनिश्चित करायी जाय और इसकी जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

(5) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुसार स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय।

(6) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अतः इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212(vii) में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। प्रश्नगत योजना हेतु पुनरीक्षित लागत स्वीकृत नही की जायेगी।

(7) लेबर सेस के भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

(8) प्रायोजना के संबंध में नियमानुसार समस्त अवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा एवं कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम स्तर से प्रायोजना की तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जायेगी।

(9) प्रायोजना प्रस्ताव में प्रस्तावित बाटआउट/प्रोपराइटरी श्रेणी के आइटम्स का क्रय तथा इन पर धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) प्रायोजनान्तर्गत कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढाना, प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्य विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(11) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं यथा संशोधित वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप सं0-10/2023/बी0-1-60 /दस-2023-231 /2023 दिनांक 19 सितम्बर, 2023 का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) निर्धारित स्पेसीफिकेशन में परिवर्तन अथवा वित्तीय अनुमोदन के अतिरिक्त निर्माण कार्य कार्यदायी संस्था द्वारा यदि बिना शासन की पूर्वानुमति से कराया जाता है, तो उसका उत्तरदायित्व सम्बन्धित कार्यदायी संस्था/संस्थाओं का होगा।

(13) प्रश्नगत निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन तैयार कर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के साथ-साथ वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्थानुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(14) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 26 अगस्त, 2014 में दिये गये निर्देश के आलोक में कार्य की वास्तविक लागत के आधार पर नियमानुसार व्यय किये जाने के उपरान्त यदि धनराशि शेष बचती है तो उसे निर्धारित प्रक्रियानुसार राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(15) सामग्री एवं सेवाओं के क्रय के लिए सुसंगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(16) अवमुक्त की गयी सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-50 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन-800-अन्य व्यय-21-प्रदेश के मण्डल/जनपद/तहसीलों के अनावासीय भवनों के चालू कार्यों एवं भूमि क्रय हेतु-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 यथा संशोधित कार्यालय-ज्ञाप सं0-10/2023/बी0-1-60 /दस-2023-231 /2023 दिनांक 19 सितम्बर, 2023 में प्राप्त प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या- /2024/1671(1)/एक-5-2023-166/2010:: तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः/

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।

2- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।

3- कोषाधिकारी, लखनऊ।

4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5

5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

6- जिलाधिकारी, बस्ती ।

7- प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0, यू0पी0 सिडको टी0सी0-64वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर लखनऊ/अधिशासी अभियन्ता, यू0पी0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0, यू0पी0 सिडको, बस्ती।

8- श्री राम केवल, सचिव/नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेन्ट सिस्टम, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।

9- राजस्व अनुभाग-6

10- गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(राकेश कुमार यादव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।